

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा  
मानवेन्दर आदि बनाम गहेन्द्रसिंह आदि  
रजस्व मुकदमा नं० 212 आरटीएक्ट नं० 04/11.01.2021 रान् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ
------------	---------------------------------	--

11-01-21 प्राथी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री हनुमान सहारण के द्वारा पेश किया गया। वकील प्राथी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्राथी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके चक न० 9 एसडीआर के खाता संख्या 60/48/35 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 23 की 0.2530 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 8 ता 25 की 4.5540 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 3, 25 की 0.5060 हैक्टेयर मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 5, 6, की .5060 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 72 के किला नं० 1 ता 5 की 1.2650 हैक्टेयर के कुल किला 28 के कुल क्षेत्रफल 7.0840 हैक्टेयर, चक 4 बरानी में खाता संख्या 72/47 के मुरब्बा नं० 35 किला नं० 6 व 6 ता 8 व 13 ता 15 की 1.5180 हैक्टेयर, खाता संख्या 73/54 के मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 6 ता 25 की कुल 5.0600 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 23 के किला नं० 6 , 14 ता 25 की कुल 3.2890 हैक्टेयर कुल किला 33 की कुल क्षेत्रफल 8.3490 हैक्टेयर, चक 5 बरानी खाता संख्या 88/80 मुरब्बा नं० 29 के किला नं० 10 , 11 की कुल 0.5060 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 30 के किला नं० 1 ता 25 की कुल 6.3250 हैक्टेयर मुरब्बा नं० 31 के किला नं० 3 ता 5 की 0.7590 हैक्टेयर, मुरब्बा नं० 32 के किला नं० 1 की 0.2530 हैक्टेयर कुल किला 31 की कुल क्षेत्रफल 7.8430 हैक्टेयर वादभूमि में अपने हिस्से का किलेवार बेचान न करें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 08.03.2021 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत वेंचनामे पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाफ़ोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्राथी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असागतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फ़ैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.03.2021 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वकील कम्बी/प्रतिवादी/प्राथी/अप्राथी उप  
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते...  
दिनांक 18/05/21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी...  
दिनांक 18/08/21 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रयपत्र उपस्थित।  
भूलदावा में अप्राथी सं. 1/17/4 की ओर से  
वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली  
किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी शेष एवं  
जवाब दिनांक 13-9-21 को पेश हो।

03/21

8/05/21

8/8/21

1 1/2

पत्रावली प्रशासन गांव के गांव अभियान-2021  
कैम्प स्थान दिनांक 01/12/22 को पेश हुई।  
पत्रावली दिनांक 02/12/22 को पेश हो।  
S.P.P

8/1/22

वकील बाबी/प्रतिवादी/पार्थी/अपार्थी उप.  
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते...  
नांक 04/1/22 को पेश हो। P.O. श्रीराम में 4  
S.P.P

06/1/22 पत्रावली पेश हुई। वास्तुवाएं फेरीमेन उप.  
वास्ते तलवी शेष पत्रावली दिनांक 08/1/22  
को पेश हो। S.P.P

09/1/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी .....  
दिनांक 16/1/22 को पेश हो।  
S.P.P

16/1/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी .....  
दिनांक 22/1/22 को पेश हो।  
S.P.P

22/1/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी .....  
दिनांक 18/1/22 को पेश हो।  
S.P.P

10/10/22

वकील बाबी/प्रतिवादी/पार्थी/अपार्थी उप.  
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते...  
नांक 02/12/22 को पेश हो।  
Sohar

2/12/22

पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी .....  
दिनांक 21/12/22 को पेश हो।

24/1/23

पत्रावली पेश हुई वार सघं का  
कार्य .....  
पत्रावली .....  
नांक 21/1/23 को पेश हो।

02/05/23

पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी .....  
दिनांक 03/07/23 को पेश हो। Any

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख  
फर्द अहकाम की  
हुकम की तामील  
जारी हुआ

30  $\frac{05}{23}$

पत्रावली पेश हुई। वहुभाष्य फरिस्त उपर।  
मूल पत्र खारीज होने के कारण जर्पना  
पत्र अन्तर्गत धारा 72 स. 1 व 2 को मारे  
चलाते का कोई ओचित्य नहीं है। अतः  
जर्पना पत्र इसी स्तर पर खारीज किया  
जाता है। दिनांक 11.01.2024 को जारी भोपेय  
अपान्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर को  
रुम की जाकर दस्तावेज दाखिल हो।

उपरोक्त पत्रावली  
में आगे कोई  
कारवाई नहीं  
चाहती है  
सिलोचना  
परमार्थ  
30/01/2024  
र

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)